

निर्णय 04-07-2024

2024/114/1





फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रामप्रताप बनाम कमा आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 184 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10-7-2024 09.05.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 20.05.2024 को पेश हो। कुलाए कसकन उपस्थित/PU माहक राजकीर पत्रावली पेश की दिनांक 10-7-2024	
20-5-2024 12-6-2024	वकील वादी ने राजीनामा-पत्र भिजवा कर पेश करने पर प्रजावली को पेश में लिखा गया। कुलाए फरिश्तेन उपस्थित वकील व सुनने वाली गणराज ता 5 ने टासिटर अकाउल भाकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद 12-6-2024 को पेश हो। कुलाए कसकन उपस्थित/PU माहक राजकीर पत्रावली पेश की दिनांक 12-6-2024	राम प्रताप   
14-6-2024	कुलाए कसकन उपस्थित/PU माहक राजकीर पत्रावली पेश की दिनांक 14-6-2024	राजिनामा सुभाष
04-07-2024	कुलाए फरिश्तेन उपस्थित व सुनने वाली गणराज का अवलोकन किया गया। प्रजावली पर उपलब्ध रिपोर्ट आई व वादी पेश की के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिस्चि किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल फरिश्तेन किया जाये। प्रजावली नम्बर से काम की जाकर बाद 12-6-2024 को पेश हो। कुलाए कसकन उपस्थित/PU माहक राजकीर पत्रावली पेश की दिनांक 04-07-2024	प्रतिवादी प्रीतिका कसकन 

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 184/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रामप्रताप पुत्र गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. ~~कमा~~ पुत्री गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. भागा पुत्री गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. माना पुत्री गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रोहिताष पुत्र गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. सुभाष पुत्र गुटीराम जाति मेघवाल निवासी 34 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री नन्दलाल गोल्याण वकील-वादी

श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 04.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर

के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी रामप्रताप पुत्र गुटीराम को चक 34 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 34/35 (13) कि.नं. 1 ता 3 की 0.759 है., प.नं. 34/27(14) कि.नं. 5/2 की 0.101 है., प.नं. 34/34(2) कि. नं. 18 की 0.1293 है. दक्षिणी पासा, 19 की 0.1293 दक्षिणी पासा, 20 की 0.1293 है. दक्षिणी पासा, 21, 22, 23 की 0.759 है., प.नं. 34/26(1) कि.नं. 16 की 0.1293 है. दक्षिणी पासा, 17 की 0.0224 है. दक्षिणी पासा, 18 की 0.0224 है. दक्षिणी पासा, 19 की 0.0224 है., दक्षिणी पासा, 20 की 0.0179 है., दक्षिणी पासा, 21 की 0.1166 है. उत्तरी पासा, 22 की 0.1462 है. उत्तरी पासा, 23 की 0.1462 है. उत्तरी पासा, 24 की 0.1462 है. उत्तरी पासा, 25 की 0.253 है., प.नं. 34/50(4) कि.नं. 7 की 0.228 है., 14 की 0.228 है., 17 की 0.228 है., 24 की 0.253 है., प.नं. 209/441(5) कि.नं. 1, 2, 9, 10 ता 12, 19 ता 22 की 2.530 है. इस प्रकार कुल 6.4965 है.,
2. प्रतिवादी सं. 5 सुभाष पुत्र गुटीराम को चक 34 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 34/34(2) कि.नं. 11 ता 15 की 1.265 है., 18 की 0.1237 है. उत्तरी पासा, 19 की 0.1237 है. उत्तरी पासा, 20 की 0.1237 है. उत्तरी पासा, प.नं. 34/26(1) कि.नं. 15 की 0.253 है., 16 की 0.1237 है. उत्तरी पासा, 17 की 0.2306 है. उत्तरी पासा, 17 की 0.2306 है. उत्तरी पासा,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

18 की 0.2306 है. उत्तरी पासा, 19 की 0.2306 है. उत्तरी पासा, 20 की 0.1841 है. उत्तरी पासा, प.नं. 209/441(5) कि.नं. 3 ता 8 की 1.518 है., 13 की 0.240 है. दक्षिणी पासा, 14 की 0.240 है. दक्षिणी पासा, 15 की 0.240 है. दक्षिणी पासा, 16 ता 18 की 0.759 है., 23 ता 25 की 0.759 है. कुल 6.6447 है. भूमि

3. प्रतिवादी सं. 4 रोहिताश पुत्र गुटीराम को चक 34 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 211/441(7) कि.नं. 1 की 0.228 है., 9, 10 की 0.506 है., प.नं. 34/26(1) कि.नं. 21 की 0.0854 है. दक्षिणी पासा, 22 की 0.1068 है. दक्षिणी पासा, 23 की 0.1068 है. दक्षिणी पासा, 24 की 0.1068 है. दक्षिणी पासा, प.नं. 34/42(3) कि.नं. 11/2 की 0.228 है., 12 की 0.253 है., 13 की 0.126 है. दक्षिणी पासा, 16 ता 19 की 1.012 है., 20/2 की 0.228 है. , 21/2 की 0.228 है., 22 ता 25 की 1.012 है., प.नं. 210/441(6) कि.नं. 1/2 की 0.228 है., 2 ता 9 की 2.024 है., 10 की 0.228 है. कुल 6.7068 है. भूमि
4. वादी रामप्रताप, प्रतिवादी सं. 5 सुभाष पि. गुटीराम को चक 34 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 209/441(5) कि.नं. 13 की 0.013 है. उत्तरी पासा, 14 की 0.013 है. उत्तरी पासा, 15 की 0.013 है. उत्तरी पासा कुल 0.039 है. भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

वादी व प्रतिवादी 4, 5 के पिता का नाम बुधराम के स्थान पर गुटीराम व रोहिताश व रोहतास के स्थान पर रोहिताश दुरुस्त किये जाने के तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3, मृतक रुकमा का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04-07-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकासी
राजसस